रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-682/2026/853/22-2-2026-17(169)/2026

लखनऊ: दिनांक: 04 जून, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी शकुन्तला देवी (बन्दी संख्या-573/2025) पत्नी स्व० सत्यनरायन राम, निवासी-55 के/751-सी, आजाद नगर, थाना-आलमबाग, जनपद-लखनऊ, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-1736/2000 में भा०द०वि० की धारा-304बी, 498ए व 3/4 डी०पी० एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06, लखनऊ के दण्डादेश दिनांक 22.04.2003 द्वारा 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 22.03.2018 द्वारा उक्त धाराओं को परिवर्तित करते हुए भा०द०वि० की धारा-306 के अन्तर्गत 03 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया। जिसे मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 25.04.2025 द्वारा पुष्टित किया गया है। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 22.04.2026 तक अपरिहार 01 वर्ष, 04 माह, 29 दिन तथा सपरिहार 01 वर्ष, 05 माह, 20 दिन की सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त महिला बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-682/2026/853(1)/22-2-2026 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।

3- पुलिस आयुक्त, लखनऊ।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ।

5- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित क्रिमिनल रिट पिटीशन सं0-9787/2025 शकुन्तला देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.10.2025 के सन्दर्भ में मा० न्यायालय को अवगत कराने हेतु।

6- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in